भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *304

दिनांक 22.03.2023 को उत्तर देने के लिए

समुद्र में खनन

†*304. श्री वी.के.श्रीकंदन:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रवासक (प्लेसर) खनिजों के लिए समुद्र में खनन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार समुद्री खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त कदम का विरोध करने वाली केरल की विभिन्न मछुआरा यूनियनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

***

'समुद्र में खनन' के संबंध में संसद सदस्य श्री वी.के.श्रीकंदन द्वारा पूछे गए दिनांक 22.03.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 304 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 [ओएएमडीआर अधिनियम, 2002] के तहत प्रवासक (प्लेसर) खनिजों के लिए समुद्र में खनन की अनुमति है।

(ख) और (ग): खान मंत्रालय ने ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर हितधारकों अर्थात् केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों, खनन उद्योग, उद्योग संघों, आम जनता और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं **अनुबंध-I** में दी गई हैं।

(घ): ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 के तहत समुद्री खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति है। तथापि, निजी क्षेत्र द्वारा अपतटीय खनन ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 के तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित मौजूदा कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं के अधीन है। ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य समुद्री खनन में प्रचालन अधिकार प्रदान करने के लिए नीलामी को विधि (मोड) के रूप में प्रस्तुत करना है।

(ङ) और (च) : जी, हां। ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 में प्रस्तावित संशोधन पर केरल के विभिन्न मछुआरा संघों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

'समुद्र में खनन' के संबंध में संसद सदस्य श्री वी.के.श्रीकंदन द्वारा पूछे गए दिनांक 22.03.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 304 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

(i) खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से ही उत्पादन पट्टा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(ii) संयुक्त अनुज्ञप्ति यानी गवेषण अनुज्ञप्ति-सह-उत्पादन पट्टा, जो गवेषण प्रचालन के बाद उत्पादन प्रचालन के प्रयोजनार्थ प्रदत्त एक दो-चरणीय प्रचालन अधिकार है, को प्रदान करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। संयुक्त अनुज्ञप्ति भी प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से ही प्रदान की जाएगी।

(iii) यह प्रावधान करना कि प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रदत्त प्रचालन अधिकारों (टोही परमिट, गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे) के धारक या आवेदक के अधिकार प्रस्तावित संशोधन अधिनियम के लागू होने पर समाप्त हो जाएंगे। यह प्रावधान क्षेत्र की प्रगति को रोकने वाले लंबित मुकदमों को हल करेगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परमाणु खनिजों वाले ब्लॉकों के आवंटन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं निजी संस्थाओं को नीलामी के माध्यम से परमाणु खनिजों से रहित ब्लॉकों के आवंटन को सक्षम बनाएगा।

(iv) नवीनीकरण प्रदान करने में विवेकाधिकार को हटाने के लिए उत्पादन पट्टों के नवीनीकरण के प्रावधानों को हटा दिया गया है और एमएमडीआर अधिनियम के अनुरूप उत्पादन पट्टे की अवधि को बढ़ाकर 50 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है।

(v) उत्पादन पट्टे के तहत क्षेत्र में सन्निहित मानक ब्लॉक शामिल होंगे और पंद्रह मिनट देशांतर द्वारा पंद्रह मिनट अक्षांश के क्षेत्र से अधिक नहीं होंगे।

(vi) प्रदान किए जाने वाले मानक ब्लॉक (न्यूनतम क्षेत्र) का आकार पांच मिनट अक्षांश से पांच मिनट देशांतर (लगभग 85.75 वर्ग किमी) से घटाकर एक मिनट अक्षांश से एक मिनट देशांतर (लगभग 3.43 वर्ग किमी) कर दिया गया है ताकि रियायत प्रदान करने के लिए अपतटीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया (एक मिनट अक्षांश से एक मिनट देशांतर) और फिलीपींस (आधा

मिनट अक्षांश से आधा मिनट देशांतर) जैसे अन्य अधिकार क्षेत्रों के प्रावधानों के साथ तुलनीय हों।

(vii) क्षेत्र की सीमा का प्रस्ताव किया गया है। कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक गवेषण अनुज्ञप्ति, संयुक्त अनुज्ञप्ति और उत्पादन पट्टे (सभी को मिलाकर) के तहत किसी भी खनिज या संबंधित खनिज के निर्धारित समूह के संबंध में 45 मिनट से अधिक अक्षांश से 45 मिनट देशांतर से अधिक का अधिग्रहण नहीं कर सकता है।

(viii) गवेषण, अपतटीय खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, आपदा प्रबंधन, अनुसंधान आदि के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एक गैर-व्यपगत अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट, जो भारतीय लोक लेखा के अधीन निधि रखेगा, की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसे एक अतिरिक्त उगाही (लेवी) द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जो खनिजों के उत्पादन पर रॉयल्टी की एक तिहाई से अधिक नहीं होगा। अतिरिक्त उगाही (लेवी) की सटीक दर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ix) केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित खनिज युक्त क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित राशि के भुगतान पर सरकारी कंपनियों या निगमों को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना खनिज रियायत देने के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रावधान एमएमडीआर अधिनियम के तहत क्षेत्र आरक्षण के प्रावधान के समान है।

(x) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति, संयुक्त अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टे के आसान अंतरण का प्रावधान किया गया है।

(xi) केंद्र सरकार को लोक हित में प्रशासन प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को संशोधित करने, निर्देश जारी करने और प्रशासन प्राधिकारी से सूचना मांगने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(xii) यदि ऐसे क्षेत्र में ऐसे खनिज का ग्रेड प्रारम्भिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है तो गवेषण अनुज्ञप्ति या उत्पादन पट्टा केवल सरकार, सरकारी कंपनी या निगम को प्रदान करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

(xiii) 'लोक हित', 'देश के सामरिक हित' या 'किसी अन्य कारण' को शामिल करने के लिए समय से पहले समाप्त करने की शक्ति का दायरा बढ़ाया गया है।

(xiv) अवैध खनन के लिए जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति मानक ब्लॉक कर दिया गया है, जिसे 50 हजार रुपये प्रति मानक ब्लॉक तक के मौजूदा जुर्माने से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किया जा सकता है और अन्य अपराधों के लिए भी जुर्माने को बढ़ाया जा सकता है।

(xv) केंद्र सरकार दो वर्षों की अवधि के दौरान संशोधन को लागू करते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए अधिकृत है।

***

<u>अनुबंध-II</u>

'समुद्र में खनन' के संबंध में संसद सदस्य श्री वी.के.श्रीकंदन द्वारा पूछे गए दिनांक 22.03.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 304 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

क्र.सं.	केरल के उन विभिन्न मछुआरा संघों की सूची जिनसे टिप्पणियां प्राप्त हुईं
1	अखिल्या केरल धीवर सभा
2	अखिल्या केरल मत्स्य थोझिलाली फेडरेशन
3	केरल मत्स्यथोझिलाली ऐक्यवेदी (टीयूसीआई)
4	मछुआरा कल्याण सोसायटी, मूथाकारा, कोल्लम, केरल
5	स्वातंत्र मत्स्य थोझिलाली फेडरेशन, केरल
6	अखिल भारतीय मछुआरा कांग्रेस, अल्लाप्पी, केरल
7	मत्स्य थोझिलाली फेडरेशन (एसटीयू), राष्ट्रीय आयोजन समिति
8	केरल स्टेट फिश वर्कर्स फेडरेशन, एआईटीयूसी
9	कोस्टल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी फॉर लिबरेशन (सीएडीएएल), केरल
10	करीमनल खनन विरुद्धे कोपनसमिति, अलप्पुझा (डीटी), केरल
11	राष्ट्रीय मछुआरा फोरम, केरल

***